

e-Challan

Registration and Stamps department Government of Rajasthan

GRN: 0096658629



Payment Date: 08/11/2024 20:07:57

Office Name: SUB REGISTRAR-I REGISTRATION & STAMPS, SANGANER

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/04/2024-To-31/03/2025

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	50.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 50.00

Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Rahul Choudhary

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): Jaipur(302021)

Address:101 a heera nagar a east
Ajmer road near 200 ft bypass

Remarks:

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: SBlePAY(Credit/Debit Cards)

Bank CIN No: SBIN9665862908112024

Date: 08/11/2024 20:07:57

Refrence No: 7614990185023

Computer generated copy on : 09/11/2024

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

✓

J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017

Mobile: - 9772204880

Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

Title Clearance Report

Dear Sir/ Madam

Re: Legal and title report of M/s Sanjeevani Buildhome for 40 plots (80-84, 87-121) [Phase-VI]

Name of Current Owner: M/s Sanjeevani Buildhome its Registered Address: -
Ajit Tower, Second Floor, Near Galaxy Cinema, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur
Through its Partner Shri Sunil Maheshwari Son of Shri Brajmohan Malpani
Resident Of Flat No. B-101, Mahima Iris Apartment, New Sanganer Road, Big
Bazar Ke Samne, Swej Farm, Ramnagar, Jaipur, District Jaipur (Raj)

Property Description:

Property situated at Khasra No. 796/504 Village Kotjewar, Patwar Halka Jharna,
Land Record Inspector Mehla, Tehsil Mojmabad, District Dudu (Jaipur),
Rajasthan, measuring 9475 sqm (0.9475 hectare). The property is part of the
"Green Vihar" [Phase-VI] residential scheme and includes the following 40 plots:



J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017

Mobile: - 9772204880

Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

s. no	Plot no.	Area (sq. yards)	s. no	Plot no.	Area (sq. yards)
1	80	110.75	2.	81	125.0
3	82	125.0	4.	83	125.0
5	84	125.0	6.	87	194.62 (corner)
7	88	125.0	8	89	125.0
9	90	125.0	10	91	125.0
11	92	125.0	12	93	125.0
13	94	144.62 (corner)	14	95	144.62 (corner)
15	96	125.0	16	97	125.0
17	98	125.0	18	99	125.0
19	100	125.0	20	101	125.0
21	102	194.62 (corner)	22	103	169.62 (corner)
23	104	125.0	24	105	125.0
25	106	125.0	26	107	128.75
27	108	128.75	28	109	99.79
29	110	81.50	30	111	125.0
31	112	125.0	32	113	125.0
33	114	125.0	34	115	125.0
35	116	169.62 (corner)	36	117	194.62 (corner)
37	118	125.0	38	119	125.0
39	120	125.0	40	121	125.0

Dear Sir,

I have Perused the following documents given by you in respect of the above-referred property to give my legal opinion for the title of the property

viz: -



J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate
Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017
Mobile: - 9772204880
Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

A List of documents submitted before me/us for scrutiny and legal opinion:

1. The land conversion order number राजस्व आ0यो0/2019/291-294 dated 11.02.2019 issued by Sub-Divisional Officer, Dudu (Jaipur) in favour of Ambrish Tiwari.
2. The Patta dated 28.02.2019 in favour of Ambrish Tiwari.
3. The approved layout plan for the "Green Vihar" [Phase-VI] project
4. Sale deed dated 05.09.2024 between Ambrish Tiwari and M/s Sanjeevani Buildhome.
5. The copy of Jamabandi dated 07.10.2024

B. Devolution/History of Title:

WHEREAS Ambrish Tiwari who was the recorded khatedar of the property situated at Khasra No. 796/504 area 0.9475 hectare Village Kotjewar, Patwar Halka Jharna, Land Record Inspector Mehla, Tehsil Mojmabad, District Dudu (Jaipur), Rajasthan applied for a change of land use from agricultural to residential and the same was granted by Sub-Divisional Officer, Dudu (Jaipur) vide its order number राजस्व आ0यो0/2019/291-294 dated 11.02.2019 in favour of Ambrish Tiwari.



J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017

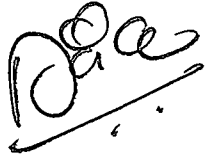
Mobile: - 9772204880

Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

Thereafter, the patta was registered on 28.02.2019 at Sub-Registrar, Mojmabad in favour of Ambrish Tiwari for the abovementioned property.

Subsequently, a layout plan for the residential scheme named "Green Vihar" [Phase-VI] was submitted and approved by the competent authority. This approved layout plan delineated the division of the 9475 square meters of land into various residential plots, roads, and other amenities as required by local development regulations, including the 40 plots {(measuring 5265.76sq. yds.) subject of this report}

That, thereafter, the abovementioned khatedar through a registered sale deed dated 05.09.2024 transferred the ownership of the abovementioned 40 plots to M/s Sanjeevani Buildhome. This sale deed effectively conveyed all rights, title, and interest in the converted land situated at Khasra No. 796/504 are 5265.76 sq yards (4402.70 sqm) Village Kotjewar, Patwar Halka Jharna, Land Record Inspector Mehla, Tehsil Mojmabad, District Dudu (Jaipur), Rajasthan. The sale deed was duly registered with the appropriate Sub-Registrar's office, thereby legally completing the transfer of ownership of the 40 plots from Ambrish Tiwari to M/s Sanjeevani Buildhome.



J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017
Mobile: - 9772204880
Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

C. Conclusion:

I, hereby, state that the information provided regarding the property ownership is based solely on the documents presented to us. M/s Sanjeevani Buildhome, the current owner, asserts that they possess a valid, absolute, and clear title to the aforementioned property, which is also marketable and mortgageable.

Regards


Ankit Jain

Advocate

धारा 9(3)(4) और (6)

देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)

क्रमा/राजस्व आ0यो0/2019/

दिनांक/

संपरिवर्तन आदेश

श्री अम्बरीश तिवारी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी 337 तिवारी बिल्डिंग नाहरगढ़ रोड, चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0 के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिलेख में धारित कृषि भूमि का राजस्व भू-राजस्व (धामीन होतों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिलेखी का नाम पिता/पति के नाम सहित पुरा पता	श्री अम्बरीश तिवारी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी 337 तिवारी बिल्डिंग नाहरगढ़ रोड, चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं।	नहीं।
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा -	
	(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम कोटजेवर, ग्राम पंचायत झरना, तहसील मौजमाबाद
	(ब) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.9475 हैक्टेयर
	(स) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल या हैक्टेयर या वर्गमीटर।	खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर में से 9475 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 9475 वर्गमीटर भूमि रूपांतरित की गयी।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय योजना
5.	संदेय प्रीमियम की दर	7.50/- रुपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जी.आर.एन नं. 27740362 दिनांक 23/01/2019 राशि 71,100/- रुपये अक्षरे इकहत्तर हजार सौ रुपये मात्र राजकोष में जमा कराई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो कि जमा कराई गई रकम	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई रकम	-
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया हैं।	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	ले-आउट प्लॉन संलग्न हैं।
11.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-	
1.	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	
2.	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।	

उपखण्ड अधिकारी

दूदू

3.	नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4.	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन उपयोग विहित प्राधिकारी से विभिन्न अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5.	आवेदक को संपरिवर्तित भूमि के एक हटायें गए वृक्ष के एवज में एक वर्ष की अवधि में तीन छाय देने वृक्षों को लगाने की शर्त के अनुसार कुल हटायें जाने योग्य 00 पेड़ की एवज में 00 वृक्ष लगाने पर उक्त 00 पेड़ हटाने की अनुमति दी जाती है आवेदक को वृक्ष लगाने में असफल रहने पर नई गये वृक्षों के लिए 500/- रुपये प्रतिवर्ष राजस्व मद में जमा कराना होगा।
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उस इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निःशुल्क पक्ष में समर्पित की जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग से सड़क चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से सड़क चाहते हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति होगी।
8.	आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये आरक्षित रहेगा, जिस पर किसी प्रकार निर्माण/वैधान नहीं किया जायेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
9.	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27/06/2007 एवं प. 6(6) 92 पार्ट/23 दिनांक 17/07/2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जायेगी।
10.	आवेदित भूमि में से यदि पैट्रो उत्पाद पाईप लाइन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना 15/05/2008 के अनुसार पाईप लाइन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
11.	राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित) नियम 200 इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
12.	संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 65 (310) ए स्थानि/जैसारा/2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।
13.	आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार ही करना होगा।
14.	अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया गया सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
15.	विकास कर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बहार की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़कें स्वयं व होगी।
16.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट में बिजली, पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं विकसित करनी होगी।
17.	कुल संपरिवर्तित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए होगा जो राज्य सरकार को समर्पित व होगा। आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपरिवर्तन नियम 2 No.F.66(26)Rev.6/2014/33 दि. 6/10/2016 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प.9(19)राज-6/2018 दिनांक 29/05/2018 नियम 9 (2) तथा प्रपत्र जी के कम संख्या 4 के तहत ले आउट प्लान/वित्ति प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजक से प्राप्त करना होगा।
18.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट की चार दिवारी बनवानी होगी तथा पार्कों का विकास करना होगा।

विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

क्रमांक/राजस्व-आ0यो0/2019/235-234
प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक/11/02/2019

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्र क्रमांक/आर-1() भू.रू./17/2133 दिनांक 27/03/2017 के अनुसार आवासीय योजनाओं के लिये छोड़ा गया 40 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पटवारी हल्का झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. श्री अम्बरीश तिवाड़ी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी 337 तिवाड़ी बिल्डिंग नाहरगढ रोड, चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0
5. आदेश/गार्ड पत्रावली।

कार्यालय तहसीलदार (भू.भ.) मौजमाबाद
क्रमांक भू.भ./91/1720 दि. 28/2/19
पटवारी हल्का झरना की नियमानुसार पालना
प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

तहसीलदार
तहसील मौजमाबाद (जयपुर)

21

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)

क्रमा/राजस्व आ0यो0/2019/

दिनांक/

संपरिवर्तन आदेश

श्री अम्बरीश तिवारी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी 337 तिवारी बिल्डिंग नाहरगढ़ रोड, चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0 के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिलेख में धारित कृषि भूमि का राजस्व भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिलेखी का नाम पिता/पति के नाम सहित पुरा पता	श्री अम्बरीश तिवारी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी 337 तिवारी बिल्डिंग नाहरगढ़ रोड, चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं।	नहीं।
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा - (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम कोटजवर, ग्राम पंचायत झरना, तहसील मौजमाबाद
	(ब) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.9475 हैक्टेयर
	(स) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल या हैक्टेयर या वर्गमीटर।	खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर में से 9475 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 9475 वर्गमीटर भूमि रूपांतरित की गयी।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय योजना
5.	संदेय प्रीमियम की दर	7.50/- रुपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जी.आर.एन नं. 27740362 दिनांक 23/01/2019 राशि 71,100/- रुपये अक्षरे इकहत्तर हजार सौ रुपये मात्र राजकोष में जमा कराई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो कि जमा कराई गई रकम	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई रकम	-
9.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	ले-आउट प्लॉन संलग्न हैं।
11.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-	
1.	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	
2.	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।	

उपखण्ड अधिकारी

दूदू

3.	नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4.	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
5.	आवेदक को संपरिवर्तित भूमि के एक हटायें गए वृक्ष के ऐवज में एक वर्ष की अवधि में तीन छायादार या घने वृक्षों को लगाने की शर्त के अनुसार कुल हटायें जाने योग्य 00 पेड़ की ऐवज में 00 वृक्ष लगाने की शर्त पर उक्त 00 पेड़ हटाने की अनुमति दी जाती है आवेदक को वृक्ष लगाने में असाफल रहने पर नहीं लगायें गये वृक्षों के लिए 500/- रुपये प्रतिवर्ष राजस्व मद में जमा कराना होगा।
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इण्डियन रोड कांय्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में समर्पित की जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8.	आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये आरक्षित रहेगा, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण/बैचान नहीं किया जावेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
9.	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27/06/2007 एवं प. 6(6) राज-6 92 पार्ट/23 दिनांक 17/07/2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10.	आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाइप लाइन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/05/2008 के अनुसार पाइप लाइन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
11.	राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
12.	संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 65 (310) एसई/स्थानि/जैसारे/2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।
13.	आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार ही करना होगा।
14.	अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया गया सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
15.	विकास कर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बहार की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़कें स्वयं बनानी होगी।
16.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट में बिजली, पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं विकसित करनी होगी।
17.	कुल संपरिवर्तित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए होगा जो राज्य सरकार को समर्पित करना होगा। आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपरिवर्तन नियम 2007 No.F.66(26)Rev.6/2014/33 दि. 6/10/2016 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प.9(19)राज-6/2018/03 दिनांक 29/05/2018 नियम 9 (2) तथा प्रपत्र जी के कम संख्या 4 के तहत ले आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजक से प्राप्त करना होगा।
18.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट की चार दिवारी बनवानी होगी तथा पार्कों का विकास करना होगा।

उपखण्ड विहित अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

क्रमांक/राजस्व-आ0यो0/2019/291-294
प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक/11/02/2019

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्र क्रमांक/आर-1() भूरु./17/2133 दिनांक 27/03/2017 के अनुसार आवासीय योजनाओं के लिये छोड़ा गया 40 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पटवारी हल्का झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
- ✓4. श्री अम्बरीश तिवाड़ी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी 337 तिवाड़ी बिल्डिंग नाहरगढ रोड, चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0
5. आदेश/गार्ड पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : MOJMABAD

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-02-2019 4:10 PM

Fee Receipt No	: 201902426000706	Receipt Date	: 28/02/2019
Name	: AMBRISH TIWARI,	Document S. No.	: 201901426000934
Address	: 337 ,TIWARI BUILDING, CHANDPOLE BAZAR ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 71100	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 711	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 426	Stamp Duty	: ₹ 2133
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 3570
		Total Amount	: ₹ 3570

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

*Rebate U/S 9(1) ₹ 1422

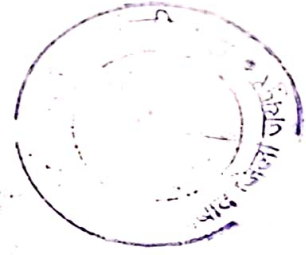
e-Gras Challan 28694057 ₹ 3450 # Stamp N.A. ₹ 120

Signature of presenter or applicant for
copy of Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



—: पट्टा पंजीयन विलेख पत्र :-

अम्बरीश तिवाडी पुत्र श्री अरुण कुमार तिवाडी, आयु 43 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी-337, तिवाडी बिल्डिंग, नाहरगढ रोड, चौदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान के पट्टा ग्रहिता हैं जिसे आगे प्रथमपक्ष शब्द से सम्बोधित किया गया है।

—क्रमश.....

Handwritten signature

उप पंजीयक
माजमाबाद (जयपुर)

25 FEB 2019

Presentation Endorsement

श्री/श्रीमती/श्री AMBRISH TIWARI

निवासी

उम्र 50 वर्ष, जाति BRAHMIN, व्यवसाय उपनिवेश
 House No. 337, Colony TIWARI BUA, CHANDPOLE
 BAZAR, Area: NAHARGARH ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302001,
 District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तवेज सही प्रस्तुत किया।

स्टाम्प नं. 95/15

201901426000934

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

उप पजीयक

हस्ताक्षर (जयपुर)
MOJMABAD

Fees Receipt Endorsement के अन्तर्गत

स्टाम्प ससि पर प्रसारित अधिभार	20
1. आधारभूत शुल्क	28
पंजीयन शुल्क ₹ (5) - 10% रुपये	101
2. माय और प्रतीति शुल्क	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹ (3-ख) - 10% रुपये	1030
अन्य शुल्क ₹	0
कुल योग	21
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	21
कमी घरचार्ज शुल्क ₹	0
कुल योग	31

उप पजीयक

201901426000934

1902426000700

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



प्रथमपक्ष की अचल सम्पत्ति खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.9475 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि ग्राम कोटजेवर, पटवार क्षेत्र झरना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महलां, अन्तर्गत तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित हैं।

पट्टा पंजीयन की जाने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर में से 9475 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 9475 वर्गमीटर भूमि श्रीमान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक:-राजस्व-आ0यो0/2019/290 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा 0.9475 हैक्टेयर भूमि में से 9475 वर्गमीटर आवासीय योजनार्थ संपरिवर्तन की गई भूमि ग्राम कोटजेवर, पटवार क्षेत्र झरना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महलां, अन्तर्गत तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित हैं।



उक्त रूपान्तरित की जाने वाली भूमि के तहत की जमा की जाने वाली राशि जिसके चालान संख्या जी.आर.एन. 27740362 दिनांक 23.01.2019 को रुपये 71,100/- रुपये अक्षरे इकहत्तर हजार एक सौ रुपये इस प्रकार कुल प्रिमियम राशि 71,100/- रुपये अक्षरे इकहत्तर हजार एक सौ रुपये मद 0029 भू-राजस्व कोष में जमा कराकर उक्त भूमि को आवासीय योजनार्थ रूपान्तरित की गई।

उप पंजीयक
मौजमाबाद (जयपुर)

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारी का नाम व पता

1 श्री/श्रीमती/श्री SDO DUDU, पुत्र/पुत्री/पति श्री SDO, व्यवसाय ज्ञाति Rajasthan Government

छायाचित्र

अंगुठा

पक्षकारी का प्रकार

Executant
Age : 0
Signature :

2 श्री/श्रीमती/श्री AMBRISH TIWARI, पुत्र/पुत्री/पति श्री ARUN KUMAR TIWARI, व्यवसाय Business ज्ञाति BRAHMIN House No.:337, Colony: TIWARI BUILDING, CHANDPOLE BAZAR, Area: NAHARGARI ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN



Claimant
Age : 60
Signature :

[Signature]

ने लेख्यपत्र Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules, को पत्र सूत व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 71100/- पूर्व में / गेरे रागक्ष / में से रु 71100/- पूर्व में ----- ये गेरे रागक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन वर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगुठा विशाल मेरे समक्ष किए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता

1 Name: श्री/श्रीमती/श्री IQBAL SAMAD, पुत्र/पुत्री/पति श्री ALIMUDDEN ज्ञाति MUSLIM Age: 33 Add: House No.:A-1, Colony: hatwara road, Area: AJMER ROAD, IN FRONT OF ESI HOSPITAL, City: JAIPUR, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN

2 Name: श्री/श्रीमती/श्री ISLAM MANSOORI, पुत्र/पुत्री/पति श्री IBRAHIM KHAN MANSOORI ज्ञाति MUSLIM Age: 34 Add: House No.:0, Colony: GRAM BAGRU, Area: TEHSIL SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 303007, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN

छायाचित्र

अंगुठा

हस्ताक्षर



Signature

[Signature]



Signature

[Signature]

201901426000934

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

उप पंजीयक
उप पंजीयक, MOJMABAD

मौजमाबाद (जायपुर)



मौजमाबाद
मौजमाबाद

// 3 //

अतः यह लेख्य पत्र कुल किता 02 स्टाम्प किता 01 कीमती
100/-रूपये दो पाई पेपरों पर लेखबद्ध किया जिस की समस्त
ईबारत शुद्ध व सही है सौ प्रमाणित रहे।

इति दिनांक ...28-8-2019

संलग्न-: आवासीय योजनार्थ संपरिवर्तन किया गया पट्टा

हस्ताक्षर साक्षीगण



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

1.

IQBAL SAMAD S/O ALI MUDDIN
A-HATWARA ROAD SODALA
JAIPUR



2.

ISLAM MANSOOR S/O IBRAHIM KHAN
VILL. BALRU, TE H. SANGHANER
JAIPUR



उप पंजीयक
मौजनावाप (जायपुर)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 71100 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 2133 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 711, सरचार्ज राशि 426 कुल रु 3270 रसीद संख्या 201902426000706 दिनांक 28-02-2019 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 2133 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201901426000934

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

उप पंजीयक, MOJMABAD

मोजमाबाद (जयपुर)

Registration Endorsement

आज दिनांक 28/02/2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 451 में पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 201903426100690 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1334 के पृष्ठ संख्या 141 से 148 पर चस्पा किया गया।

201901426000934

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

उप पंजीयक, MOJMABAD

मोजमाबाद (जयपुर)



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SANGANER-I

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 05-09-2024 6:05 PM

Fee Receipt No	: 202402024016391	Receipt Date	: 05/09/2024
Name	: M/S SANJEEVNI BUILDHOME AS PARTNER SUNIL MAHESHWARI ,	Document S. No.	: 202401024012069
Address	: B-101 ,MAHIMA IRIS APARTMENT,NEW SANGANER ROAD ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 9215080	Evaluated Value	: ₹ 3719403
Ord-Registration Fee	: ₹ 92151	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 165873	Stamp Duty	: ₹ 552905
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 1000
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 1500	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 813729
		Total Amount	: ₹ 813729

FOR SANJEEVNI BUILDHOME

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ63607867670588V ₹ 718778 # e-Registration Receipt RJ1724742491657 ₹ 94951

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Partner

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SR@ Unique ID 24090543771R
SR@ Location SANGANER-I
Receipt No. RJ1724742491657
Name Of Seller AMBRISH TIWARI
Name Of Buyer MS SANJEEVNI BUILDHOME
Type of Document 21(I) - Sale Deed (Conveyance Deed)
ACC Reference NONSH/RAMPRASAD SHARMA/SANGANER-I

Receipt Date 05-SEP-2024 17:48

Paid Fees

Particulars

Registration Fees

Copy of Fees

Late Fees

Other Charges

Total Amount

Grand Total

(Rupees Ninety-Four Thousand Nine Hundred Ninety-One Only)

Amount (Rs.)

₹ 92151

₹ 0

₹ 0

₹ 1500

₹ 94951

₹ 94991

Particulars

GSI

Record Inspection Fees

Commission Fees

Service Charges

Amount (Rs.)

₹ 300

₹ 0

₹ 1000

₹ 40



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



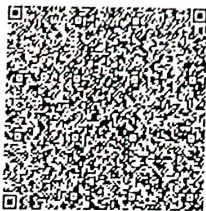
IN-RJ63607967670588W

INDIA NON JUDICIAL
Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ63607967670588W
Certificate Issued Date : 05-Sep-2024 05:45 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ rj3270404/ SANGANER/ RJ-JP
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ327040412762005731097W
Purchased by : MS SANJEEVNI BUILDHOMES
Description of Document : Article 21(i) Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description : PLOT NO 81 TO 84 87 TO 121 SCHEME GREEN VIHAR VILLAGE
KOTJEWAR TEHSIL MOJMABAAD JAIPUR
Consideration Price (Rs.) : 92,15,080
(Ninety Two Lakh Fifteen Thousand And Eighty only)
First Party : AMBRISH TIWARI
Second Party : MS SANJEEVNI BUILDHOMES
Stamp Duty Paid By : MS SANJEEVNI BUILDHOMES
Stamp Duty Payable (Rs.) : 5,52,905
(Five Lakh Fifty Two Thousand Nine Hundred And Five only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 55,291
(Fifty Five Thousand Two Hundred And Ninety One only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 55,291
(Fifty Five Thousand Two Hundred And Ninety One only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.) : 55,291
(Fifty Five Thousand Two Hundred And Ninety One only)
Stamp Duty Amount (Rs.) : 7,18,778
(Seven Lakh Eighteen Thousand Seven Hundred And Seventy Eight only)

For SANJEEVNI BUILDHOMES
Partner



QE 0017840015

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

SHCIL



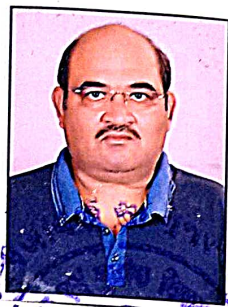
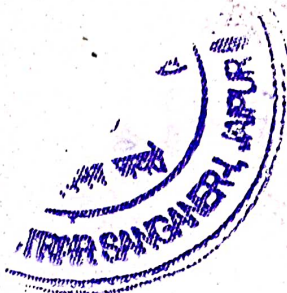
Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

0017840012



// श्रीरामजी //
--: विक्रय-पत्र :-

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर सन् 2024 ईस्वी को निम्न प्रकार एवं निम्न पक्षकारान जिनके छायाचित्र ऊपर चस्पा किये गये हैं, के मध्य निष्पादित किया जाता है:-

अम्बरीश तिवाडी उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र श्री अरुण कुमार तिवाडी जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 337, तिवाडी बिल्डिंग, नाहरगढ रोड चांदपोल बाजार जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, (आधार कार्ड संख्या [REDACTED] 6401, एवं पेन कार्ड नं० ABBPT2049J) जिन्हें इस विक्रय-पत्र में आगे चलकर शब्द "विक्रेता-प्रथमपक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया हैं (जिसमें प्रथमपक्ष स्वयं एवं प्रथमपक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान्, उत्तराधिकारी, हितधारी, अंशधारी, अभिकर्ता, स्थानापन्न, प्रशासक, ऐसाईनिज, नोमिनीज इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे) की ओर से.....

—: बहक :-

मैसर्स संजीवनी बिल्डहोम पंजीकृत कार्यालय पता:- अजीत टॉवर सेकिण्ड फ्लोर, नियर गैलेक्सी सिनेमा, शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर जरिये साझेदार श्री सुनील माहेश्वरी उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी जाति माहेश्वरी निवासी फ्लैट नम्बर बी-101, महिमा आइरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड, बिग बाजार के सामने, स्वेज फार्म, रामनगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त (आधार नं० [REDACTED] 8090) जिन्हें इस विक्रय-पत्र में आगे चलकर शब्द "क्रेता/फर्म, द्वितीयपक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया हैं, (जिसमें द्वितीयपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, उत्तराधिकारी, हितधारी, अंशधारी, स्थानापन्न, अभिकर्ता, प्रशासक, ऐसाईनिज, नोमिनीज इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे) के हित में निम्न प्रकार लिखा, तहरीर व तकमील किये गये हैं :-

For SANJEEVNI BUILDHOME

Partner

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

लगातार..... 2





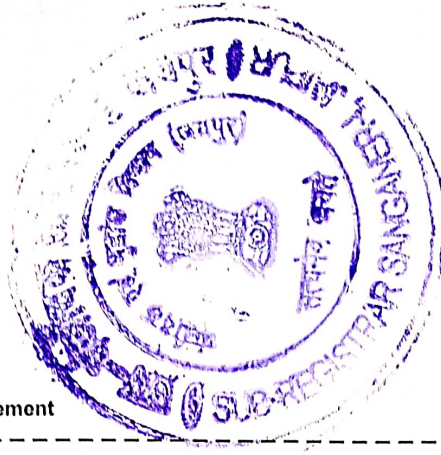
यह कि वाके ग्राम कोटजेवर, पटवार हल्का डरना, भूअभि.नि. महलों, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू (जयपुर) राज. के अन्तर्गत संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 796/504, रकबा 0.9475 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि मुझ विक्रेता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में दर्ज व अंकन है। तत्पश्चात् उक्त वर्णित खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि को प्रथमपक्ष ने भू-रूपान्तरित वास्ते आवश्यक दस्तावेज व चाही गई राशियों व शुल्क जमा करवाकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) की राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम-2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये आवासीय प्रयोजन प्राधिकृत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जयपुर, (राज.) क्रमांक/राजस्व आ0यो0/2019/291-294, दिनांक 11-02-2019 ई0 को मुझ प्रथमपक्ष के हित में जारी किया गया। इसके बाद मुझ प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित खसरा नम्बर 796/504, रकबा 9475 वर्गमीटर में से कुल क्षेत्रफल 9475 वर्गमीटर संपूर्ण पर छोटे-छोटे भूखण्डस् के रूप में एक आवासीय योजना " ग्रीन विहार " के नाम से सुविख्यात किया गया। उक्त आवासीय योजना का ले आउट प्लान/कॉलोनी नक्शा अनुमोदित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 290, दिनांक 11/02/2019 ईस्वी को जारी किया गया। उक्त अनुमोदित मानचित्रानुसार वर्णित भूमि में सृजित आवासीय भूखण्ड निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गगज)	क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गगज)
1	80	110.75	2	81	125
3	82	125.0	4	83	125.0
5	84	125.0	6	87	194.62 (कॉर्नर)
7	88	125.0	8	89	125.0
9	90	125.0	10	91	125.0
11	92	125.0	12	93	125.0
13	94	144.62 (कॉर्नर)	14	95	144.62 (कॉर्नर)
15	96	125.0	16	97	125.0
17	98	125.0	18	99	125.0
19	100	125.0	20	101	125.0
21	102	194.62 (कॉर्नर)	22	103	169.62 (कॉर्नर)
23	104	125.0	24	105	125.0
25	106	125.0	26	107	128.75
27	108	128.75	28	109	99.79
29	110	81.50	30	111	125.0
31	112	125.0	32	113	125.0
33	114	125.0	34	115	125.0
35	116	169.62 (कॉर्नर)	36	117	194.62 (कॉर्नर)
37	118	125.0	38	119	125.0
39	120	125.0	40	121	125.0

लगातार..... 3

For SANJEEVNI BUILDHOME
Partner





Presentation Endorsement

Print Date: 9/5/2024 6:05:59 PM

आज दिनांक 05 माह 09 सन् 2024 को 05:52 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री AMBRISH TIWARI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ARUN KUMAR
TIWARI
उम्र 48 वर्ष, जाति 0-BRAHMAN, व्यवसाय Other
निवासी House No.:337, Colony: TIWARI BUILDING NAHARGARH
ROAD, Area: CHANDPOLE BAZAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code:
302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
SANGANER-I

Fees Receipt Endorsement

Print Date: 9/5/2024 6:05:59 PM

रसीद नं.	202402024016391
दिनांक	05-09-2024
पंजीयन शुल्क ₹	92151
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	1000
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	552905
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	165873
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	1500
कुल योग	813729

202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

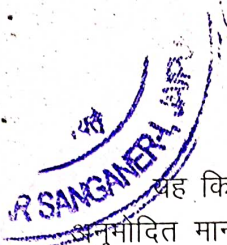
Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ63607967670588W ₹

718778 # e-Registration Receipt

RJ1724742491657 ₹ 94951

उप पंजीयक, SANGANER-I



//3//



यह कि उक्त वर्णित भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 5265.76 वर्गगज है एवं शेष भूमि वर्णित अनुमोदित मानचित्र में सड़क व पार्क के रूप में दर्शाया गया है तत्पश्चात् उपरोक्त वर्णित आवासीय संपरिवर्तन आदेश को पट्टा पंजीयन विलेख पत्र को मुझ प्रथमपक्ष द्वारा पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक मोजमाबाद (जयपुर) के यहां दिनांक 28-02-2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 451 में पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 201903426100690 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1334 के पृष्ठ संख्या 141 से 148 पर नियमानुसार चस्पा किया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की संपरिवर्तित आवासीय भूमि जिसका क्षेत्रफल 5265.76 वर्गगज संपूर्ण के प्रथमपक्ष एकमात्र बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के मालिक, स्वामी, काबिज व अधिकारी है, इसलिये सम्पूर्ण भूमि को (जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे इस विक्रय-पत्र "अचल सम्पत्ति" से सम्बोधित किया गया है) आज तक समस्त प्रकार के झगड़े-टण्टों से, वाद विवादों एवं ऋण भार से सर्वथा मुक्त व पाक है। प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित संपरिवर्तित भूमि/आवासीय योजना के भूखण्डस् सम्पूर्ण को आज से पूर्व किसी बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनी, कार्पोरेशन, संस्था आदि के हित में रहन, विक्रय, बख्शीश, जमानत, कुर्की, डिर्की, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तांतरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई इकरारनामा या संविदा लिखित या मौखिक रूप से कर कोई रसीद आदि ही लिख रखी है। उक्त वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी भी कोर्ट, थाना आदि में कोई विवाद विचाराधीन नहीं है तथा किसी भी राजस्व न्यायालय, दिवानी न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय से इस कृषि भूमि पर कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ नहीं है तथा उक्त वर्णित सम्पत्ति न ही अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित आवासीय योजना को हर प्रकार से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्तांतरित/विक्रय करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है। जिसके लिये प्रथमपक्ष पूर्णतया स्वतंत्र है।

यह कि मुझ प्रथमपक्ष (विक्रेता) को अपने व्यापारिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता है, इसलिये प्रथमपक्ष ने ग्राम कोटजेवर, पटवार हल्का झरना, के अन्तर्गत तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर (नवसृजित जिला दूदू) में एक आवासीय योजना " ग्रीन विहार " में उपरोक्त वर्णित तालिका में दर्शित आवासीय भूखण्डस् संख्या क्रमशः 80 लगायत 84 व 87 लगायत 121, जिनका संयुक्त कुल क्षेत्रफल 5265.76 वर्गगज अर्थात् 4402.70 वर्गमीटर सम्पूर्ण को समस्त स्वामित्व मालिकाना हक हकूको व अधिकारो सहित, तमाम अकृषि प्रयोजनार्थ अधिकारो व अनुमोदन मानचित्रानुसार सहित, तमाम जमा राशियां मय लांभाश सहित तथा इसमें बिना किसी अपने स्वयं व अपने परिजनो के किसी भी अंश व भाग के कुल मुवलिंग विक्रयमूल्य प्रतिफल धनराशि 92,15,080/-रूपये अक्षरे बानवें लाख पन्द्रह हजार अस्सी रूपये मात्र के प्रतिफल संपूर्ण की एवज में द्वितीयपक्ष क्रेता/फर्म मैसर्स संजीवनी बिल्डहोम पंजीकृत कार्यालय पता:- अजीत टॉवर सेकिण्ड फ्लोर, नियर गैलेक्सी सिनेमा, शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर जरिये साझेदार श्री सुनील माहेश्वरी उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी जाति माहेश्वरी निवासी फ्लैट नम्बर बी-101, महिमा आइरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड, बिग बाजार के सामने, स्वेज फार्म, रामनगर, जयपुर, जिला जयपुर, को कतई विक्रय कर दिया है.....

For SANJEEVNI BUILDHOME 1
Partner



लगातार..... 4



Endorsement of Execution

Print Date: 9/5/2024 6:05:59 PM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री AMBRISH TIWARI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ARUN KUMAR TIWARI , व्यवसाय Otherजाति 0-BRAHMAN House No.:337, Colony: TIWARI BUILDING NAHARGARH ROAD , Area: CHANDPOLE BAZAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 48 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री M/S SANJEEVNI BUILDHOME AS PARTNER SUNIL MAHESHWARI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BRIJ MOHAN MALPANI , व्यवसाय Otherजाति 0-MAHESHWARI House No.:B-101, Colony: MAHIMA IRIS APARTMENT,NEW SANGANER ROAD, Area: BIG BAZAR KE SAMNE SWEJ FARM RAMNAGAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 49 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9215080/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9215080/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAJIV TAK , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHAG CHAND TAK जाति TAK Age: 49 Add: House No.:131, Colony: ASIND NAGAR , Area: SANGANER , City: JAIPUR, Pin code: 302029, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAM SINGH CHOUDHARY , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GIRDHARI LAL CHOUDHARY जाति JAT Age: 36 Add: House No.:0, Colony: WARD NO 06, Area: AMARPURA JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 303804, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम



एवं विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त

राशि	चैक नम्बर/टीडीएस	बैंक का नाम
5,00,000 / -रु.	000005	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
5,00,000 / -रु.	000013	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
18,48,000 / -रु.	000021	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
21,05,600 / -रु.	000032	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
21,05,600 / -रु.	000033	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
20,63,729 / -रु.	121305	येस बैंक
92,151 / -	जरिये टीडीएस द्वारा	
92,15,080 / -रु.	कुल प्रतिफल राशि	



इस प्रकार विक्रय मूल्यधन की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि उपरोक्तानुसार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिया है, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष इस विक्रय पत्र में सहर्ष स्वीकार करती/करता है तथा प्रथमपक्ष ने विक्रय की गई उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को समस्त अधिकारों, मालिकाना हक व हकूकों सहित व सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारों सहित भौतिक व वास्तविक कब्जा मौके पर नपती करवाकर मय समस्त मूल दस्तावेजात सहित के द्वितीयपक्ष को संभला दिया है, जिसे द्वितीयपक्ष इस विक्रय पत्र में समक्ष गवाहान् सहर्ष स्वीकार करता है। और अब उक्त विक्रय की गई सम्पत्ति बाबत् प्रथमपक्ष के वारिसों, भागीदार, उत्तराधिकारियों स्थानापन्नो, प्रतिनिधियों, हकी, अंशियों आदि का कोई भी हक व अधिकार न तो रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।

यह कि अब उक्त वर्णित क्रय की गई अचल सम्पत्ति का द्वितीयपक्ष एकमात्र मालिक, स्वामी, कब्जाधारी व स्वत्वाधिकारी हो गया है तथा द्वितीयपक्ष को उक्त सम्पत्ति बाबत् समस्त स्वत्वाधिकार, मालिकानाधिकार व हस्तान्तरण के प्रथमपक्ष के समान ही प्राप्त व निहित हो गये हैं। अब द्वितीयपक्ष जिस प्रकार भी चाहे उक्त वर्णित क्रयशुदा सम्पत्ति को अपने नाम से नाम हस्तान्तरण करावे, टाउनशिप पॉलिसी के तहत नक्शा अनुमोदन करवाये, योजना का अनुमोदन करवाये, कब्जा-पत्र, आवंटन-पत्र, लीज-डीड/पट्टा विलेख आदि अपने स्वयं व द्वितीयपक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति/सदस्य का नाम अंकित करवाकर संबंधित कार्यालय जयपुर/दूदू में देय समस्त राशियां जमा करवाकर पट्टादि प्राप्त करने को पूर्णतया स्वतन्त्र रहेगा, उक्त वर्णित विक्रित सम्पत्ति को अपने किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेवे, उक्त विक्रित आवासीय योजना के भूखण्डस् को किसी भी व्यक्ति को विक्रय करे, उक्त क्रयशुदा "अचल सम्पत्ति" पर निर्माण करावे, बिजली, पानी आदि कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करें तथा उक्त क्रयशुदा "अचल सम्पत्ति" में स्वयं रहे, इस पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण, अनुदान प्राप्त करें, इसमें स्वयं रहे, किसी को किराये पर देवे, उक्त सम्पत्ति का किसी भी नामित व्यक्ति, दीगर, संस्था आदि को किसी भी मूल्य में सौदा तय बैचान करें, किसी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, विक्रय, बख्शीष आदि कर फायदा उठावे, कहने का तात्पर्य यह कि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित उठाने में पूर्णतया स्वतन्त्र एवं सक्षम हो गया है। इसमें प्रथमपक्ष एवं उनके उत्तराधिकारियों, परिवारजनो, वारिसानों की कोई आपत्ति या एतराज मान्य नहीं समझी जावेगी।

For SANJEEVNI BUILDHOME

[Signature]
Partner





Enter in Minute Book Endorsement

Print Date: 9/10/2024 11:02:45 AM

Pending In Minute Book No 202409024001908
दिनांक 06/09/2024 कारण SITE INSPECTION

202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम

Under 54 Endorsement

Print Date: 9/10/2024 11:02:45 AM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 9215080 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 552905 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 92151, सरचार्ज राशि 165873 कुल रु 810929 रसीद संख्या 202402024016391 दिनांक 05-09-2024 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 552905 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम

Release from Minute Book Endorsement

Print Date: 9/10/2024 11:02:45 AM

Release from Minute Book No 202409024001950
दिनांक 10/09/2024 कारण Release for Registration

202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम

Registration Endorsement

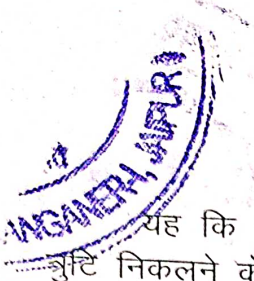
Print Date: 9/10/2024 11:02:45 AM

आज दिनांक 10/09/2024 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1431 में
पृष्ठ संख्या 84 क्रम संख्या 202403024110056 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5320 के
पृष्ठ संख्या 13 से 24 पर चस्पा किया गया।

202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम



यह कि उक्त वर्णित विक्रित सम्पत्ति बाबत प्रथमपक्ष के अधिकारों की कोई कमी या त्रुटि निकलने के कारण भविष्य में अगर कभी उक्त विक्रय की गई सम्पत्ति या इसका कोई अंश, भाग द्वितीयपक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जावे और उससे द्वितीयपक्ष को कोई क्षति हो तो द्वितीयपक्ष को उसके मूल्य की उस समय की प्रचलित बाजार भाव से राशि, इस विक्रय-पत्र में हुआ समस्त खर्चा, नवीन निर्माण आदि की लागत व अन्य समस्त हानि व्यय की राशि प्रथमपक्ष या प्रथमपक्ष की अन्य हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से या इनके वारिसों से खर्चा व हर्जा सहित एकमुश्त वसूल करने का पूर्ण हक एवं अधिकार होगा, उसमें प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान् आदि को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, यदि इस संबंध में प्रथमपक्ष एवं प्रथमपक्ष के वारिसान् आदि द्वारा कोई आपत्ति की जावेगी तो वह प्रभाव शून्य होगी। यह कि उक्त विक्रय की गई "अचल सम्पत्ति" बाबत आज से पूर्व का किसी भी प्रकार को कोई वाद व दावा व ऋण जमानत आदि का भार सरकारी, अर्द्धसरकारी व जनसाधारण का कोई होगा या निकलेगा तो उन समस्त का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष स्वयं अपने धन से कर विक्रय की गई सम्पत्ति को द्वितीयपक्ष के हित में पूर्ण स्वतन्त्र करा देगा।

यह कि द्वितीयपक्ष अब इस विक्रय-पत्र के जरिये उक्त क्रय की गई सम्पत्ति को जे. डी.ए., नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि संबंधित समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी महकमात में अपने स्वयं के नाम पर दर्ज करा लेवे, इसके लिये द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों, बयानों या स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष का निःशुल्क पूर्ण सहयोग करेगा, जिसके लिये प्रथमपक्ष इस विक्रय-पत्र में भी वचनबद्ध होता है।

यह कि इस विक्रय पत्र से पूर्व के कोई भी इकरानामे, रसीदे, इत्यादि इस विक्रय पत्र के विरुद्ध होने पर वह निरस्त व प्रभाव शून्य मानी जावेगी तथा पक्षकारों के अन्तिम अधिकार इस विक्रय पत्र में अंकित शर्तों व शरायतों के अनुसार ही वैध व मान्य होगा।

यह कि उक्त वर्णित सम्पत्ति के विक्रय-पत्र में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि होती है या भूलवश रह जाती है तो उसके संशोधन बाबत प्रथमपक्ष के स्वयं के उपस्थित होने की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष का बिना किसी मांग राशि के एवं बिना किसी विवाद के सहयोग करेगा, जिसके लिये प्रथमपक्ष पूर्ण सहमत हैं।

इस विक्रय-पत्र संबंधी समस्त खर्चा स्टाम्प व पंजीयन शुल्क आदि प्रत्येक प्रकार का द्वितीयपक्ष के जिम्मे तय पाया है, जो द्वितीयपक्ष ने मूल्यधन राशि के अलावा स्वयं ने अपने पास से वहन किया है। उक्त वर्णित भूखण्ड्स खाली है तथा इनमें किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।

विक्रय किये गये भूखण्डों को भली प्रकार से समझने के लिये विक्रय पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाये गये हैं एवं उक्त मानचित्र इस विक्रय पत्र का एक अभिन्न अंग समझा जावेगा।

For SANJEEVNI BUILDHOME,
[Signature]
Partner

[Signature]
उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

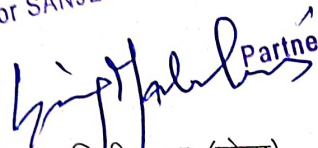
लगातार..... 6





यह विक्रय-पत्र प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने अपनी पूर्ण राजी खुशी, पूर्ण होवास हवास की अवस्था में, बिना किसी नशे पते के, अपनी स्थिर बुद्धि की अवस्था में छः सादा हरे पेपरों पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष इस विक्रय-पत्र की समस्त ईबारतो को भली प्रकार से प्रकार एव स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करते समय द्वितीयपक्ष से उक्त विक्रयशुदा "अचल सम्पत्ति" की समस्त विक्रय राशि प्राप्त करके द्वितीयपक्ष को उक्त विक्रयशुदा सम्पत्ति पर मालिकाना कब्जा कराकर इस विक्रय-पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 05 सितम्बर सन् 2024 ईस्वी।

For SANJEEVNI BUILDHOME


हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष (क्रेता)


हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (विक्रेता)

गवाह (1)

हस्ताक्षर:-


नाम श्री राजीव टाक पुत्र श्री भागचन्द टाक आयु 48 वर्ष जाति टाक
निवासी मकान नम्बर 131, आसीन्द नगर, सांगानेर, जयपुर।
आधार कार्ड नं० [REDACTED] 6600

गवाह (2)

हस्ताक्षर :-

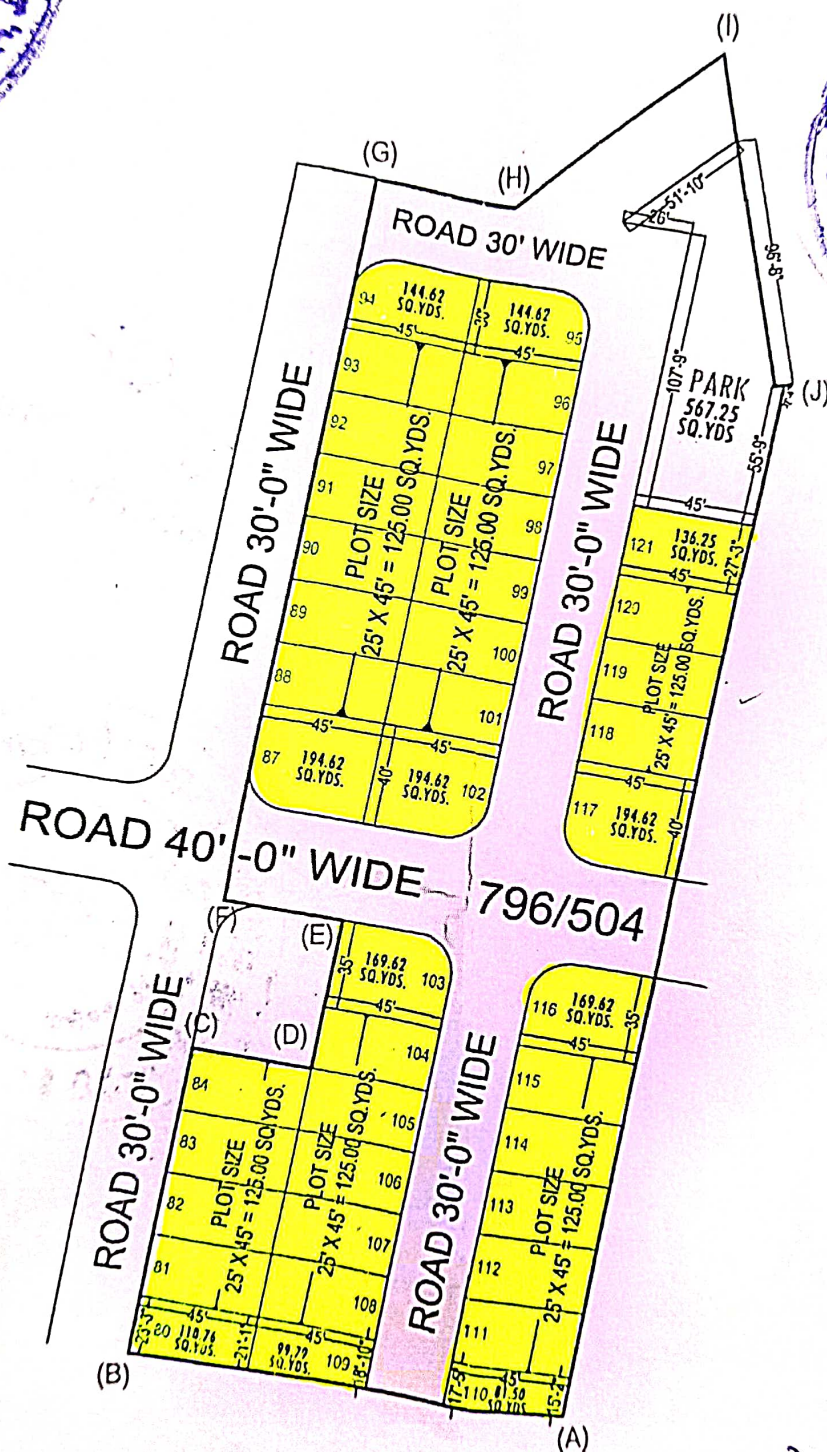

नाम श्री रामसिंह चौधरी पुत्र श्री गिरधारी लाल चौधरी उम्र 36 वर्ष जाति जाट
निवासी वॉर्ड नम्बर 06, अमरपुरा, जयपुर, जिला जयपुर।
आधार नं० [REDACTED] 1369


उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

"GREEN VIHAR"

IN KHASRA NO. - 796/504

AT VILLAGE - KOTJEWAR, TEH.- MOJMABAAD, JAIPUR.



FOR SANJEEVNI BUILDHOME

[Signature]
Partner

✓ 2



Registration Endorsement

Print Date:9/10/2024 11:03:33 AM

आज दिनांक 10/09/2024 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1431 में
पृष्ठ संख्या 84 क्रम संख्या 202403024110056 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5320 के
पृष्ठ संख्या 13 से 24 पर चस्पा किया गया।

202401024012069

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANEER
सांगानेर प्रोजेक्ट





जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कोटजेवर
पटवार हल्का :- झरना
भू.अभि.नि. :- महलौं
तहसील :- मौजमावाद
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 8
खाता संख्या पुराना :- 5

काशतकार का नाम:-

1. अम्बरीशतिवाडी पुत्र अरूणकुमारतिवाडी हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राह्मण नि.337तिवाडी विल्डिंग नाहरगढ रोड चांदपोल बाजार जयपुर
खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
796/504	0.9475	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.9475			
कुल खसरे - 1	0.9475		0.9475			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 7-Oct-2024

